32

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 143/2024

दायर दिनांक–03.09.2024

1. बिमला देवी पत्नी विजेन्द्र सिंह
2. मन्जू पुत्री विजेन्द्र सिंह
3. अनिल कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह समस्त जाति जाट निवासी गाडोदिया की ढाणी तन पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायणराम
2. मांगीलाल पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी गाडोदिया की ढाणी तन पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री शिशुपाल सिंह कुल्हरी
वकील प्रतिवादी :– श्री सुरेश कुमार सैनी

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–04.03.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गाड़ोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.80 है0 भूमि में दर्ज मृतक विजेन्द्र सिंह पुत्र हणमान का नाम हटाया जाकर उक्त हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज की जावे।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई दखलंदाजी पैदा नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सैनी ने वकालतनामा तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश होने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु बिमला, महेन्द्र तथा मांगीलाल के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78, नकल गुमशुदा रिपोर्ट संख्या 05/17, पंचायत रिपोर्ट, नकल फोटो कॉपी आधार कार्ड बिमला, मजूं, अनील, नकल फोटोकॉपी निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र, नकल फोटोकॉपी राशन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध [illegible] किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवा[illegible] राजस्व ग्राम गाड़ोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी में स्थित [illegible] का खातेदार विजेन्द्र सिंह पुत्र हणमान सिंह दर्ज रिकॉर्ड है जि[illegible] वारीसान वादीगण [illegible]तः उक्त भूमि में विजेन्द्र सिंह का नाम हजफ किया जाकर उक्त विजेन्द्र सिंह [illegible] घोषित किया [illegible] न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित हो[illegible] स्वीकार किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ़

30

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम गाडोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.80 है० भूमि में विजेन्द्र पुत्र हणमान का नाम हजफ किया जाकर उसके हिस्से 25/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

34

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 143/2024 **(बिमला देवी बनाम महेन्द्र सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.03.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम गाड़ोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.80 है0 भूमि में विजेन्द्र पुत्र हणमान का नाम हजफ किया जाकर उसके 25/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.03.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested